

## राजस्थान—सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राज० जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई) (1)(नि.प.89 / 11) / अलेसे—गा / १२०१९-१२०३० दिनांक :— २५।।।२०१४

आदेश संख्या ३६० / २०१३-१४

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार एवं कनिष्ठ लेखाकार (संयुक्त प्रतियोगी) सीधी भर्ती परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंसानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थी को एतद् द्वारा राज. अधीनस्थ लेखा रोवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन कनिष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थिति देने की तिथि से दो वर्ष की कालावधि के लिए रूपये 11100/- (रुपये 11100/-) प्रति माह के स्थाई पारिश्रमिक पर, दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे—बैण्ड(2) 9300—34800 में ग्रेड पे 3600 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त/नियम/०६ दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते हैं कि वे संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर में दिनांक 27.01.2014 से शुरू किये गये प्रशिक्षण हेतु प्रातः 9.30 बजे अपनी उपस्थिति अविलम्ब देवें। प्रशिक्षण अवधि 13 सप्ताह की होगी तथा इस अवधि में उनको देय स्थाई पारिश्रमिक आदि का भुगतान रांगथान द्वारा किया जावेगा। 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे—बैण्ड (2) 9300—34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होंगे। उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है, अतः प्रशिक्षणार्थी को ठहरने आदि की व्यवस्था अन्ते रत्तर पर करनी होगी। प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् श्री मनोज कुमार मीणा को उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 9 के अनुसार पदस्थापन स्थान हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

क्र. सं.	मेरिट क्रमांक	रोल नम्बर	नाम/पिता का नाम एवं पत्र व्यवहार का पता	जन्म तिथि	गृह जिला	श्रेणी	पदस्थापन स्थान	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	6	7	9	
1.	89	710374	मनोज कुमार मीणा पुत्र श्री सीताराम मीणा, 223 'ए' शान्ति नगर 'बी' 80 फीट रोड, गुर्जर की थड़ी, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान, पिन कोड 302019।	15-10-1975	जयपुर	ST	कोषालय, राजसमंद	

उपरोक्त अभ्यर्थी की कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों पर की जा रही है:-

- उपरोक्त अभ्यर्थी की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक रोवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण—पत्र के के आधार पर अंकित की गई है।
- यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन होगी।
- यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, सी.आई.डी (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण—पत्र की शर्त पर है।
- अभ्यर्थी को राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियमों के अनुसार भविष्य में अनिवार्य प्रशिक्षण पर उपस्थिति देते समय दस रूपये के नीन ज्यूडिशियल रटाप्प पेपर पर एक अनुबन्ध पत्र / बाण्ड जो नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित हो देना होगा।
- अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार निर्धारित स्वारथ्य परीक्षा प्रमाण पत्र जिला मुख्य निकित्सा अधिकारी तथा उससे उच्च पद के विकित्सा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिये किन्तु महिलाओं के सम्बन्ध में राक्षम अधिकारी, किरी महिला विकित्सक का स्वारथ्य सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- अभ्यर्थी को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वयंवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें राज्य रोवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्तों (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होंगे।
- परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आवरण परिवीक्षा की समयावधि में सन्तोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
- यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है। परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण / आहता प्राप्त कर लेने पर इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में रथायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी।

11. उक्ता नियुक्ति माननीय न्यायालयों में विवारणीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होती है।
12. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व गुटखा एवं धूमपान न करने के संबंध में वचनबद्धता पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जाते हैं।
13. अभ्यर्थी से विवाह के समय दहेज प्राप्त न करने का धोषणा पत्र जिस पर पति, पिता एवं श्वसुर के हस्ताक्षर हो प्राप्त किया जाकर प्रति इस विभाग मे भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जाते हैं।

यदि अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनस्थ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त वेतन एवं भते एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दोगुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट कमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा उनके पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

*abish*  
(वीरबाला जोशी)  
निदेशक

कमांक एफ.4 (ई)(1)(नि.प.89/11)/अलेसे-गा/

12019 - 12030

दिनांक :- २५।।।१४

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान जयपुर
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, ह.च.मा. राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, क्षेत्रीय केन्द्र, जोधपुर को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अभ्यर्थी की उपस्थिति से पूर्व दस रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध पत्र जो कि अभ्यर्थी को सीधे ही नियुक्त आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तुत उपस्थिति रिपोर्ट के साथ संलग्न कर निदेशालय को प्रेषित करेंगे।
5. कोषाधिकारी, कार्यालय, राजसमन्द।
6. श्री मनोज कुमार मीणा, पुत्र श्री रमेशराम मीणा, 223'ए' शान्ति नगर 'बी' 80 फीट रोड, गुर्जर की थड़ी, श्याम नगर, जयपुर राजस्थान, पिन कोड-302019।
7. विशेषाधिकारी (कम्प्यूटर अनुभाग) वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
8. निजी सहायक, निदेशक
9. गोपनीय शाखा
10. रक्षित / निजी पत्रावली

*B.Singh*  
(महेन्द्र सिंह भूकर )  
अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-गा)